

न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी  
मुकदमा नम्बर 71/2023

श्री मुरारी लाल शर्मा  
आर.ए.एस

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।  
बनाम

1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सज्जन कुमार, मैसर्स तुलसान ट्रेडर्स, मैन मार्केट मण्डेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू।
- 2- M/S Dabriwal Enterprises, C-16-B, Ganesh Colony, Pilani, Jhunjhunu.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थिति:-

1. आवेदक की ओर से .....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक संख्या 1 की ओर से .....अनावेदक स्वयं।
3. अनावेदक संख्या 2 की ओर से .....अनावेदक स्वयं।

—निर्णय—

दिनांक : 29.09.2023

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है:- कि आवेदक श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आवंटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 28.03.2023 को मैसर्स तुलसान ट्रेडर्स, मैन मार्केट मण्डेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सज्जन कुमार उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना बताया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनावेदक ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस होना जाहिर किया।


  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर 500 ग्राम के 10 पैकेट चाय (नीला मोर) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ चाय (नीला मोर) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलों पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ चाय (नीला मोर) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section3(1)(zf)(C)(i)) पाया जाने के कारण प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदकगण ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी मैन मार्केट मण्ड्रेला, तसहील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू में मैसर्स तुलसान ट्रेडर्स के नाम से दुकान है जहां वह चाय (नीला मोर) का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ चाय (नीला मोर) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section3(1)(zf)(C)(i)) पाया गया है। अनावेदक ने लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 2 M/S Dabriwal Enterprises, C-16-B, Ganesh Colony, Pilani, Jhunjhunu से जरिये पक्के बिल पैकड खरीदा था। अतः खाद्य पदार्थ के सब-स्टेण्डर्ड होने की जिम्मेदारी अनावेदक संख्या 2 की है। अतः मेरे विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप किया जाये।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 की ओर से प्रोपराईटर श्री मनोज कुमार डाबड़ीवाल ने कथन किया कि अनावेदक संख्या 1 की दुकान से लिया गया सैम्पल का

  
अनावेदक संख्या 2  
श्री मनोज कुमार

खाद्य पदार्थ अनावेदक संख्या 1 ने उसकी फर्म M/S Dabriwal Enterprises, C-16-B, Ganesh Colony, Pilani, Jhunjhunu से जरिये पक्के बिल खरीदा था जो कि मिसब्रान्ड फूड पाया गया है। खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड फूड पाये जाने पर सारी जिम्मेदारी उसकी है। उसके प्रोडक्ट में कोई अन्य कमी नहीं पाई गई है। सिर्फ मशीन की प्रिन्ट की गलती है। जिसमें सुधार कर लिया गया है। अतः उसके विरुद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।


हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1178/एक्ट/2023/1238 दिनांक 10.04.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (नीला मोर) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section3(1)(zf)(C)(i)) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) के उल्लंघन में आता है। अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से खाद्य पदार्थ खरीदने का पक्का बिल प्रस्तुत किया है। लेकिन अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 के लाभांश में हिस्सेदार है अतः खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने पर उसे निर्दोष नहीं माना जा सकता है। अतः अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ चाय (नीला मोर) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 1 श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सज्जन कुमार, मैसर्स तुलसान ट्रेडर्स, मैन मार्केट मण्डेला, तहसील चिड़ावा झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 10,000/- दस हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

चूंकि प्रकरण में अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से खाद्य पदार्थ जरिये पक्के बिल खरीदा था तथा अनावेदक संख्या 2 स्वयं अपनी फर्म M/S Dabriwal Enterprises, C-16-B, Ganesh Colony, Pilani, Jhunjhunu में खाद्य पदार्थ चाय (नीला मोर)

  
 अतिरिक्त जिला कलक्टर  
 झुन्झुनू

का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ चाय (नीला मोर) मिसब्रान्ड फूड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक फर्म M/S Dabriwal Enterprises, C-16-B, Ganesh Colony, Pilani, Jhunjhunu को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 20,000/- बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अनावेदकगण उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मुरारी लाल शर्मा)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुंझुनू